डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2001—कार्तिक 4, शक 1923

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1102/3001/सा.प्र.वि./2001/2.—भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13013/10/2000-ए.आई.एस.(1),दिनांक 11 अक्टूबर, 2001 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा(केडर)नियम, 1954 के नियम-5उप-नियम (2) के अंतर्गत श्रीमती आई. एम. चहल, भा. प्र. से. (1976), विशेष आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, नई दिल्ली को छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग से मध्यप्रदेश राज्य संवर्ग में स्थानांतरित किया गया है.

2. श्रीमती आई. एम. चहल, भा. प्र. से. (1976), विशेष आवासीय आयुक्त(लाईजन), छत्तीसगढ़ शासन, नई दिल्ली को मध्यप्रदेश राज्य संवर्ग हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1074/2573/सा.प्र.वि./2001/2/लीव/आई.ए.एस.—श्री जवाहर श्रीवास्तव, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 5-9-2001 से 19-9-2001 तक (15 दिवस) तक का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री जवाहर श्रीवास्तव यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन, व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

4. श्री श्रीवास्तव को अवकाश से लौटने पर विशेष सचिव, सा. प्र. विभाग के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1076/2345/सा.प्र.वि./2001/2/लीव/आई.ए.एस.—श्री आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर, दुर्ग को दिनांक 7-8-2001 से 10-8-2001 (चार दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 11, 12-8-2001 को शास. अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री केशरी को अवकाश काल में वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश काल के पूर्व मिलते थे.

3. अवकाश से वापस लौटने पर श्री केशरी को, कलेक्टर के पद पर जिला-दुर्ग में आगामी आदेश तक अस्थाई रूप में पदस्थ किया जाता है.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री केशरी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1078/2061/सा.प्र.वि./लीव/आई.ए.एस./2001.—श्री गौरव द्विवेदी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा को दिनांक 26 जून 2001 से 9 जुलाई 2001 तक (13 दिवस) का पेटर्निटी अवकाश (पितृत्व) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री द्विवेदी को, अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री गौरव द्विवेदी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने कार्य पर कार्यरत रहते.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1081/2681/01/2/एक.—श्री पी. सी. दलेई, कमिश्नर, जगदलपुर को दिनांक 6 सितम्बर, 2001 से दिनांक 19 सितम्बर, 2001 तक 14 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दलेई को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री दलेई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दलेई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2001

क्रमांक 1101/2662/सा.प्र.वि./2001/2.—श्री शैलेश पाठक, संचालक, संस्थागत वित्त विभाग को दिनांक 11-9-2001 से 22-9-2001 तक (12 दिवस) का पैतृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पाठक यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

3. अवकाश काल में श्री पाठक को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री पाठक को संचालक, संस्थागत वित्त एवं प्रबंध संचालक, सी.आई.डी.सी. के पद पर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप में पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2001

क्रमांक एफ-ए. 3-8/2001/सा.प्र.वि./एक/(1).—राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि ग्यारहवीं विधान सभा के ऐसे सदस्य जो पूर्व में मध्यप्रदेश शासन के मुख्यमंत्री रह चुके हैं एवं वर्तमान में लोक सभा के सदस्य हैं को राज्य के मंत्री के समान निम्नानुसार सुविधायें प्रदान की जाती हैं :—

स.क्र.	पद का नाम	पद की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	विशेष सहायक	1
2.	निज सहायक	1
3.	सहायक ग्रेड-3	1
4.	गनमैन	1
5.	भृत्य	3
6.	वाहन चालक	2
7.	पेट्रोल	250 लीटर
8.	चिकित्सा सुविधा	नि:शुल्क
9.	आवास	किराया मुक्त सुसज्जित आवास.
10.	आवास की साज-सज्जा	रुपये 35,000/- सीमा तक व्यय.
11.	टेलीफोन	एक (एस.टी.डी. सुविधायुक्त एवं एक बिना एस.टी.डी. सुविधा के व्यय सीमा रुपये 20,000/-)
12.	बिजली	रुपये 3000/- तक.
13.	प्रदेश में यात्रा करने पर संबंधित स्थानों पर उसके प्रति उचित सौजन्यता. (कटसी) प्रदर्शित की जाना.	रेस्ट हाऊस/सर्किट हाऊस में नि:शुल्क रूप से ठहरने की सुविधा.
14.	रेल यात्रा सुविधा	उच्च शा. अधपेक्षा के द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में या वातानुकूलित कोच में एक कूपे या द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान (ए.सी. स्लीपर कोच) में दो बर्थ.
15.	शिष्टाचार एवं सुरक्षा व्यवस्था.	केबीनेट मंत्री के अनुरूप शिष्टाचार सुविधा सुरक्षा व्यवस्था.

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 240/SR/105/B-5/वित्त दिनांक 9-10-2001 द्वारा महालेखाकार, रायपुर को पृष्ठांकित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-35/गृह/2001.—जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर रायपुर-संभाग	
1.	श्री भगवती कुमार सिंह	सहायक जनसंपर्क अधिकारी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु पिल्ले, संयुक्त सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2001

क्रमांक ए-1-ए/6/2001/14-1.—राज्य शासन एतद्द्वारा, कृषि विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख दर्शाये पद एवं स्थान पर स्थानांतरित करके, पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक	नाम व पद	पद एवं स्थानांतरित कार्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री एल. आर. गौतम परियोजना कार्यपालन अधिकारी, सघन कृषि कार्यक्रम, रायपुर.	उप संचालक, कृषि, संचालनालय, कृषि, छत्तीसगढ़, रायपुर.

(1)	(2)	(3)
2.	श्री ए. एन. मिश्रा उप-संचालक, कृषि, कांकेर.	उप-संचालक, कृषि, संचालनालय, कृषि, छत्तीसगढ़, रायपुर.

2. श्री एम. के. चंद्राकर, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, दुर्ग को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ उप-संचालक, कृषि, राजनांदगांव का प्रभार सौंपा जाता है परन्तु यह उनकी पदोन्नति का आदेश नहीं होगा.

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2001

क्रमांक ए-1-ए/6/2001/14-1.—अविभाजित मध्यप्रदेश में उप-संचालक, कृषि के पद पर पदोन्नति हेतु गठित पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16-12-98 एवं दिनांक 14-7-2000 के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर एवं छत्तीसगढ़ राज्य शासन के निर्णय अनुसार कृषि विभाग के निम्नलिखित सहायक संचालकों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नियमानुसार उप-संचालक, कृषि के पद पर (वेतनमान रुपये 10000-375-15200 में) पदोन्नत करते हुये निम्नानुसार पदस्थापना की जाती हैं :—

अ.क्र.	नाम व पद	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नत नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री के. एन. राम (अ.ज.जा.)	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, अंबिकापुर.	उप-संचालक, कृषि, कांकेर.
2.	श्री बी. एस. धुर्वे (अ.ज.जा.)	सहायक संचालक, कृषि कार्या. उप-संचालक, कृषि, अंबिकापुर.	परियोजना कार्यपालन अधिकारी (उप-संचालक, व सघन कृषि कार्यक्रम, रायपुर.)

उप-संचालक, कृषि संवर्ग में श्री के. एन. राम का वरिष्ठताक्रम श्री कपूरचंद पैकरा उप संचालक, कृषि के ऊपर होगा एवं श्री बी. एस. धुर्वे का वरिष्ठताक्रम श्री जी. के निर्मम उप संचालक, कृषि के ऊपर होगा. उक्त दोनों अधिकारियों को औपचारिक पदोन्नति के दिनांक से उनके द्वारा उप संचालक, कृषि के पद पर वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक तक की बीच की अवधि में उन्हें पदोन्नत पद का नया वेतनमान लागू नहीं होगा. किन्तु वार्षिक वेतनवृद्धि एवं पेंशन प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जावेगी और यदि उपरोक्त पदोन्नति में कोई वैधानिक त्रुटियां पाई जाती हैं, तो उन्हें पदावनत किये जाने का अधिकार, राज्य शासन को होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, विशेष सचिव.

जनसपंर्क विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2001

क्रमांक 3100/एच./जसंसं/2001.—राज्य शासन इस विभाग के अधिसूचना दिनांक 27 अप्रैल 2001 को छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-एक में प्रकाशित नियम 4 (1, 2) जिला स्तरीय अधिमान्यता समिति के लिये निम्नानुसार संभागवार समितियां गठित करता है.

रायपुर संभाग :—

श्री नरेन्द्र पारख, दैनिक नवभारत, रायपुर, श्री रामचंद्र गुप्ता, दैनिक चिंतक दुर्ग, श्री दीपक लाखोटिया, दैनिक प्रखर समाचार धमतरी, श्री सुशील कोठारी, दैनिक सबेरा संकेत राजनांदगांव, श्री धनराज लूनिया, देशबंधु महासमुंद, श्री अल्ताफ खान कवर्धा, श्री कौशल किशोर मिश्रा, तरूण छत्तीसगढ़, रायपुर, श्री कृषणादास, हितवाद, रायपुर.

बस्तर संभाग :—

श्री तुषारकांति बोस, दण्डकारण्य समाचार, जगदलपुर, श्री पवन दुबे, हाईवे चैनल, जगदलपुर, श्री एस. करीमुद्दीन, यू.एन.आई., जगदलपुर, श्री सुशील शर्मा, कांकेर, श्री मनीष गुप्ता, दंतेवाड़ा, श्री राजा ठाकुर कोंडागांव, श्री किरीट दोषी, स्वतंत्र पत्रकार, जगलदपुर, श्री नारायण भोई, नवभारत, जगलदपुर.

बिलासपुर संभाग :—

श्री श्याम चतुर्वेदी, बिलासपुर, श्री दिवाकर मुक्तिबोध, नवभारत बिलासपुर, श्री प्राण चड्ढा, भास्कर, बिलासपुर, श्री कमल ठाकुर, हरिभूमि, बिलासपुर, श्री किशन असावा, अंबिकावाणी, सरगुजा, श्री प्रेमचंद जैन, कर्णप्रिय, कोरबा, श्री गुरूदेव कश्यप, रायगढ़, संदेश, रायगढ़, श्री उदय थवाईत, केलो प्रवाह, रायगढ़.

सभी संभागीय समिति में राज्य स्तरीय समिति के दो सदस्य भाग लेंगे. इन सभी संभाग स्तरीय समितियों के संयोजक, संचालक जनसंपर्क द्वारा अधिकृत अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक जनसंपर्क होंगे. इन समितियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा.

रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2001

क्रमांक एच/3136/2001/ज.सं.—छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण समिति के संबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण समिति में निम्न प्रतिनिधि पत्रकारों को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है.

1. श्री बसंत तिवारी, प्रतिनिधि, नई दुनिया, रायपुर.
2. श्री प्रकाशचंद्र होता, ब्यूरो प्रमुख, पी.टी.आई., रायपुर.
3. श्री श्रीधरन पिल्ले, ब्यूरो प्रमुख, यू.एन.आई., रायपुर.
4. श्री सईद खान, कार्यकारी संपादक, दैनिक नवभारत, बिलासपुर.
5. श्री सुशील शर्मा, संपादक, कांकेर बंधु, कांकेर.

(2) पत्रकार कल्याण समिति के सदस्य सचिव, अपर संचालक, जनसंपर्क होंगे समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, अपर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2001

क्रमांक 765/उप सचिव/आवास/पर्यावरण/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात :—

(1) (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 है.

(दो) यह नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

(2) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियों को छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा अब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाये. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कही भी वे आये हों, के स्थान पर "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाये.

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही किसी नियुक्त, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961
2.	मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण नियम, 1966.

Raipur, the 12th September 2001

No. 765/DS/H & E/2001.—In exercise of the Powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government, hereby, makes the following orders, namely :—

(1). (i) This order may be called the Adaptation of Laws order, 2001.

(ii) It shall come into force in the Whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

(2) The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of State of Chhattisgarh, are hereby extended to an shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended, subject to the modification that in all the law's for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the words "Chhattisgarh" shall be substituted.

(3) Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be inforce in the State of Chhattisgarh.

S. No. (1)	Name of the Law's (2)
1.	The Madhya Pradesh Accomodation Control Act, 1961.
2.	The Madhya Pradesh Accomodation Control Rules, 1966.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक 7 अ-82/97-98/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	सिलदहा	1.00	कार्यपालन यंत्री, खारंग संभाग बिलासपुर.	भरेवा जलाशय.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 9 अक्टूबर 2001

क्रमांक 01/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	ताला प. ह. नं. 33	1.96 एकड़	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा, जिला दुर्ग.	मोहभट्ठा नाला डायवर्सन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय (रा.) बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 अक्टूबर 2001

क्रमांक 02/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	बिरसिंघी प. ह. नं. 2	0.05	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) रायपुर संभाग.	दाढ़ी-छिरहा मार्ग में प्रस्तावित हाफनदी एवं पहुंच मार्ग में पुल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय (रा.) बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 अक्टूबर 2001

क्रमांक 237/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक सन् 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	चिल्फी प. ह. नं. 18	4.56	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	झिपनिया जलाशय के डूबान में अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय (रा.) बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 अक्टूबर 2001

क्रमांक 238/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक सन् 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	चिल्फी प. ह. नं. 18	0.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	झिपनिया जलाशय नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय (रा.) बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 9 अक्टूबर 2001

क्रमांक 239/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	भेंडरवानी प. ह. नं. 18	0.07	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा जिला दुर्ग.	झिपनिया जलाशय भेण्डरवानी माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय (रा.) बेमेतरा में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 अक्टूबर 2001

क्रमांक 3/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जांजगीर

(ग) नगर/ग्राम-हरदी विशाल, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.917 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
601/1	0.081
601/3	0.012
642	0.081
643/2	0.020
644	0.030
645/1	0.089
645/2	0.032
646	0.146
647	0.097
648	0.170
649	0.077
650	0.154
651	0.170
652	0.138
653	0.186
654	0.125
655	0.142
656	0.097
657	0.121
658/2	0.040
658/3	0.081
659	0.146
660	0.162
661	0.138
662	0.032
663	0.028
664	0.081
665	0.154
666/1	0.134
666/2	0.129
662/1	0.146
667/2	0.089
668	0.121
669	0.093
670/1	0.081
670/2	0.081
671	0.247
672	0.073
679	0.049
673	0.121
674	0.061
675	0.069
676	0.081
677/1	0.069
677/2	0.069
677/3	0.065
677/4	0.020
678	0.097
680	0.219
681	0.283
682	0.081
683	0.413
684	0.243
685	0.162
686/1 क	0.154
686/1 ख	0.101
686/1 ग	0.057
686/2	0.028
687	0.291
688	0.158
689	0.162

(1)	(2)
690	0.040
691	0.089
692/1	0.582
692/2	0.061
706/2	0.028
928/2	0.239
707/1	0.121
707/2 928/3	0.291
709/1 क	0.142
709/1 ग	0.057
725/1	0.020
928/4	0.085
योग 73	8.917

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पंप हाऊस निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2001

क्र. 10/वि.स./उप.चु./2001/22.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 429/छ.ग./2001, दिनांक 9-8-2001 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

अजय सिंह
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 9 अगस्त, 2001—18 श्रावण, 1923 (शक)

अधिसूचना

सं. 429/छ.ग./2001.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि इसकी तारीख 23 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या 429/छ.ग./2001 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में :—

1. मद सं. 38-मालखरौदा (अ.जा.) के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर 'संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर (भू-अभिलेख), जांजगीर-चांपा', प्रविष्टि,
2. मद सं. 57-सिहावा (अ.ज.जा.) के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर 'अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी' प्रविष्टि, प्रतिस्थापित की जाएगी.

आदेश से,
सही/-
(एच. एल. फारुकी)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated 9th August 2001—18 Sravana, 1923 (Saka)

NOTIFICATION

No. 429/CG/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 13B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 429/CG/2001, dated the 23rd January, 2001, namely :—

1. for the existing entry against item No. "38-Malkharoda (SC)" the entry "Joint Collector/Deputy Collector (Land Record), Janjgir-Champa",

2. for the existing entry agianst item No. "57-Sihawa (ST)" the entry "Sub Divisional Officer (Revenue), Nagri".

Shall be substituted.

By order,
Sd/-
(L. H. FARUQI)
Secretary,
Election Commission of India.